

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0201 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 19/07/2026 13:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From**
(दिनांक से): 15/07/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 15/07/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 09:30 बजे **Time To**
(समय तक): 13:43 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 19/07/2026 **Time**
(समय): 12:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 001 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 19/07/2026 13:08:27 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 03 किमी **Beat No.**
(बीट सं.) : NOT APPLICABLE
- (b) **Address(पता):** SHRIGANGANAGAR ROAD, FLEM BAR AND RESTRO, HOTAL JYOTI, BIKANER
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUNIL KUMAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): BEERBALRAM

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1981

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHNDHAL CHAINA, RAJGARH(CHURU), CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHNDHAL CHAINA, RAJGARH(CHURU), CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVESH KUMAR SINGH		पिता:LATE. KUNWAR PRASAD	1. A 75, CHAMPALAL JEWELLERS WALI GALI, PAWANPURI, BIKANER, BIKANER, RAJASTHA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्रे और मुद्रा	रुपये	(पांच हजार रुपये 500-500 के 10 नोट भारतीय	90,000.00

1	सिक्रे और मुद्रा	रुपये	मुद्रा के एवं पिचयासी हजार 500-500 के 170 डमी नोट, कुल 90,000 रुपये)	90,000.00
---	------------------	-------	--	-----------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 90,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय निवेदन है कि दिनांक 15.07.2026 वक्त 9.30 एएम पर श्रीमान् आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट, बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति को परिवादी होना बताते हुए परिचय करवाया तथा परिवादी का नाम सुनील कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी ढंढाल चैना पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू होना बताया परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न परिवादी के 01.आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, 02. परिवादी की फर्म Skyline Creation के रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि 03- SKIPPER Limited कम्पनी से परिवादी फर्म Skyline Creation (210478) RAJGARH DHANDHAL KHETA Dist. Churu Rajasthan -331023 को मिले वर्क ऑर्डर दिनांक 25.07.2025 की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर परिवादी श्री सुनील कुमार को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित हुआ मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि मेरी Skyline Creation कि नाम से एक फर्म है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 08BXZPK5912L1ZJ है। जो कि मेरी उक्त फर्म के द्वारा बिजली लाईन बिछानी वाली जगह पर फाउण्डेशन एवम् अर्थिंग वर्क का कार्य किया जाता है। वर्तमान में मेरी फर्म के पास SKIPPER Limited कम्पनी से मेरी फर्म Skyline Creation (210478) RAJGARH DHANDHAL KHETA Dist. Churu Rajasthan -331023 को SKIPPER Limited कम्पनी के द्वारा ऑर्डर दिनांक 25.07.2025 के द्वारा Work Order for execution of Foundation Earthing work on the PGCIL TL-02 for (765 KVD/C Bikaner-Siwani Part-II) Part AB Projects in Rajasthan. मिला है। मेरी फर्म द्वारा किया जा रहा उपरोक्त कार्य भारत सरकार की कम्पनी पावर ग्रिड के अन्तर्गत आता है। जिसका सुपरविजन पावर ग्रिड डीजीएम (डिप्टी जनरल मैनेजर) श्री देवेशसिंह द्वारा किया जा रहा है। जिनका कार्यालय व्यास कॉलोनी बीकानेर में स्थित है। मेरी उपरोक्त फर्म Skyline Creation के द्वारा SKIPPER Limited कम्पनी से मिले फाउण्डेशन वर्क का कार्य लगातार किया जा रहा है। भारत सरकार की कम्पनी पावर ग्रिड के बीकानेर कार्यालय के अधिकारी श्री देवेशसिंह डीजीएम (डिप्टी जनरल मैनेजर) का मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री देवेशसिंह डीजीएम के मोबाईल नम्बर से जरिये वाट्स-अप कॉल आया, वो तारीख मुझे याद नहीं है, जिसको मैंने उठाया नहीं था, इसके बाद मेरे पास श्री देवेशसिंह डीजीएम का वाट्स-अप मैसेज आया जिन्होंने मुझे वाट्स-अप कॉल करने का कहा, जिस पर मैंने श्री देवेशसिंह डीजीएम वाट्स-अप कॉल किया तो वाट्स-अप कॉल पर उन्होंने मुझे बीकानेर में आकर मिलने के लिये बुलाया। मैं डीजीएम श्री देवेशसिंह के बताये एड्रेस बीकानेर पर आकर मिला तब उन्होंने मुझे मेरे द्वारा किये जा रहे कार्य की एवज में एक लाख रुपये रिश्तत के कमीशन के रूप में देने का कहा इसके पश्चात श्री देवेशसिंह लगातार मेरे को वाट्स-अप पर मैसेज भेज रहा है एवं वाट्स-अप कॉल करके मेरे द्वारा अब तक किये गये काम के पेटे रिश्तत के कमीशन के रूपये देने का कह रहा है। मेरे द्वारा रुपये नहीं देने पर पूर्व में भी कई बार श्री देवेशसिंह द्वारा मेरी फर्म के द्वारा किया जा रहा फाउण्डेशन एवं अर्थिंग वर्क का कार्य रूकवा दिया गया । अब मुझे श्री देवेशसिंह डीजीएम मेरे द्वारा किये गये फाउण्डेशन एवं अर्थिंग वर्क के कार्य के बदले में एक लाख रुपये रिश्तत राशि की मांग कर रहा है एवं मेरे द्वारा एक लाख रुपये रिश्तत के कमीशन के नहीं देने पर मेरी फर्म को उपरोक्त फाउण्डेशन एवं अर्थिंग वर्क का कार्य नहीं करने दे रहा है। मैं देवेशसिंह डीजीएम को मेरे जायज कार्य के बदले में रिश्तत राशि का कमीशन के रूपये नहीं देना चाहता हूँ। मेरा देवेशसिंह से कोई पुराना उधार दिये गये रूपयों के लेन-देन का हिसाब बकाया नहीं है, ना ही मेरी इनसे कोई रंजिश है। उपरोक्त रिपोर्ट मेरे विश्वसनीय आदमी से टाईप करवाकर लाया है तथा इस रिपोर्ट पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। परिवादी की रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्तत मांगने का पाया जाता है, फिर भी रिश्तत की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। दिनांक 15.07.2026 समय 09.45 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार को रिश्तत मांग के गोपनीय

सत्यापन बाबत पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री देवेशसिंह डीजीएम (डिप्टी जनरल मैनेजर) पावर ग्रिड से मेरी पहले बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे रिश्तत की राशि कमीशन के रूप में लेकर बुलाया है। मैं आज ही श्री देवेशसिंह डीजीएम (डिप्टी जनरल मैनेजर) पावर ग्रिड से मिलकर रिश्तत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा आज ही संदिग्ध अधिकारी श्री देवेशसिंह डीजीएम (डिप्टी जनरल मैनेजर) पावर ग्रिड से मिलकर रिश्तत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का कहने पर कार्यालय स्टाफ श्री जमील अहमद कानि.147 के मार्फत कार्यालय हाजा का वॉयस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। श्री जमील अहमद कानि.147 एवं परिवादी श्री सुनील कुमार का आपसी परिचय करवाकर एक दुसरे को मोबाईल नंबर से अवगत करवाया गया। समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं डीजीएम साहब की लोकेशन पता लगाने के लिये कॉल करता हूँ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री देवेशसिंह डीजीएम के मोबाईल नम्बरो पर वाट्स-अप कॉल करके परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके वार्ता करवाई गई, तो संदिग्ध अधिकारी श्री देवेशसिंह डीजीएम द्वारा परिवादी को थोड़ी देर में मिलने वाले स्थान की लोकेशन के बारे में बताने का कहकर फोन काट दिया। परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई उपरोक्त वाट्स-अप कॉल वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.31 एएम पर संदिग्ध अधिकारी श्री देवेश सिंह डीजीएम का परिवादी श्री सुनील कुमार के पास वाट्स-अप पर कॉल आया जिसको परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन किया जाकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता की गयी जिसमें संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से लोकेशन का मालूमात की गई उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय 11.33 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री देवेश सिंह डीजीएम द्वारा मेरी लाईव लोकेशन वाट्स-अप पर भेजने का कहा है तथा अपनी लाईव लोकेशन मेरे वाट्स-अप पर भेज रहा है। परिवादी ने बताया कि मैं अब डीजीएम साहब से रूबरू होकर रिश्तत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से तैयार कर शामिल कागजात की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री जमील कानि. को निर्देशित कर ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी श्री सुनील कुमार को संदिग्ध अधिकारी से रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु सुपुर्द कर श्री जमील अहमद कानि.147 को परिवादी के साथ अपनी निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को वाट्स-अप पर भेजी जा रही लोकेशन पर शहर बीकानेर को रवाना किया गया। समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार एवं श्री जमील अहमद कानि.147 अपनी निजी मोटरसाईकिल से उपस्थित कार्यालय आये। श्री जमील अहमद कानि. द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्तत मांग वार्ता के संबंध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि श्री देवेशसिंह डीजीएम साहब द्वारा अपनी लोकेशन वाट्स-अप पर शेयर की थी। उक्त लोकेशन से थोड़े पहले श्री जमील अहमद कानि.स्टेबल द्वारा अपनी मोटरसाईकिल से उतारकर मेरे को डीजीएम साहब से वार्ता करने हेतु भेजा गया था। जिस पर मैं बीकानेर शहर में पॉलोटैकनिक कॉलेज के सामने जाने वाली रोड पर पहुँचा, जहाँ पर डीजीएम साहब अपनी गाड़ी लेकर मिले थे। जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, जिस पर मेरे द्वारा डीजीएम साहब से मेरे काम के संबंध में वार्ता की तो डीजीएम साहब ने कहा अब किते लाये हो। मेने कहा अभी तो लाऊंगा उतरा हूँ बस से, यही से। डीजीएम साहब ने कहा आप एक लाख तो उठा ही लाओ उससे ज्यादा। मैने कहा थोड़ा कम करो सर। डीजीएम साहब ने कहा किता कम पांच-दस हजार कम कर लो। मेने कहा चलो ठीक है सर। उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करके लाया हूँ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री जमील अहमद कानि. को रिकॉर्ड वार्ता के संबंध में पूछा तो परिवादी द्वारा बताये गई बातों की ताईद की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई एवं संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्तत मांग की पुष्टी हुई। परिवादी ने बताया कि डीजीएम साहब ने मुझे रिश्तत की राशि लेकर आने के लिये मुझे एक-डेढ घण्टे का समय दिया है। श्री देवेश सिंह डीजीएम साहब ने मुझे रिश्तती राशि लेकर गंगानगर रोड पर ऑडी मोटर्स के सामने बुलाया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को रिश्तत राशि लाने के लिये एक-डेढ घण्टे का समय दिया गया है, इतनी कम समय अवधि में रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाना सम्भव नहीं होने के कारण रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट ट्रेप कार्यवाही के बाद में बनाने का निर्णय लिया गया। समय 12.40 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह तलबी बाबत श्री कन्हैयालाल कानि.312 को तहरीर देकर श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय बीकानेर को रवाना किया गया। समय 12.55 पीएम पर श्री कन्हैयालाल कानि.312 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय बीकानेर से स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश भार्गव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री मनोहरसिंह वनपाल के उपस्थित कार्यालय आये। वक्त 01.00 पी.एम पर कार्यालय श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय बीकानेर से आमदा स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश भार्गव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री मनोहरसिंह वनपाल को परिवादी श्री सुनील कुमार से आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री सुनील कुमार के द्वारा ब्यूरो में गोपनीय कार्यवाही हेतु किया गया प्रार्थना पत्र व रिश्तत मांग सत्यापन एवं अब तक की

कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में दोनो कार्मिकों को स्वतंत्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार को संदिग्ध अधिकारी द्वारा ली जाने वाली 90,000 रिश्वत राशि पेश करने का कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी पांच हजार रुपये 500-500 के 10 नोट भारतीय मुद्रा के एवं पिचयासी हजार 500-500 के 170 डमी नोट कुल 90,000 रुपये की व्यवस्था करके लेकर आया हूँ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के संबंध में परिवादी द्वारा पेश किये गये पांच हजार रुपये 500-500 के कुल 10 नोट भारतीय मुद्रा के एवं पिचयासी हजार रुपये 500-500 के कुल 170 डमी नोट कुल 180 नोटों की अलग-अलग दो गड़िया तैयार की गई। समय 01.10 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री सुनिल कुमार ने रिश्वती राशि 5,000 हजार रुपये (500-500 रुपये के कुल 10 नोट) भारतीय मुद्रा के तथा 85,000 हजार रुपये डमी करेन्सी (500-500 के कुल 170 नोट) के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 90,000 रुपये के क्रम में पचास हजार रुपये की एक गड़ि एवं चालिस हजार रुपये की एक गड़ि (कुल 02 गड़िया) तैयार की गई। जिसमें प्रथम गड़ि में क्रम संख्या 01 से 03 तक भारतीय मुद्रा के 500 रुपये के नोट है, तथा क्रम संख्या 04 से 98 तक भारतीय मनोरंजन बैंक के 500 अंक के डमी नोट जिस पर नंबर के स्थान पर FULL ON FUN अंकित है जिनको देखने पर सभी नोट एक जैसे प्रतीत होते हैं एवं क्रम संख्या 99 से 100 तक भारतीय मुद्रा के 500 रुपये के नोट है। इसी प्रकार दुसरी गड़ि में क्रम संख्या 01 से 03 तक भारतीय मुद्रा के 500 रुपये के नोट है, तथा क्रम संख्या 04 से 78 तक भारतीय मनोरंजन बैंक के 500 अंक के डमी नोट जिस पर नंबर के स्थान पर FULL ON FUN अंकित है जिनको देखने पर सभी नोट एक जैसे प्रतीत होते हैं एवं क्रम संख्या 79 से 80 तक भारतीय मुद्रा के 500 रुपये के नोट है। सभी नोटों का विवरण इस प्रकार है- क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 01. एक पांच सौ रुपये का नोट 4FH 537192, 02. एक पांच सौ रुपये का नोट 5KL 059989, 03. एक पांच सौ रुपये का नोट 6ML 848242, 04- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 05. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 06. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 07. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 8. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 9. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 10. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 11. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 12. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 13. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 14. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 15. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 16. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 17. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 18. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 19. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 20. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 21. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 22. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 23. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 24. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 25. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 26. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 27. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 28. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 29. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 30. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 31. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 32. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 33. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 34. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 35. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 36. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 37. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 38. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 39. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 40. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 41. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 42. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 43. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 44. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 45. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 46. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 47. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 48. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 49. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 50. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 51. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 52. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 53. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 54. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 55. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 56. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 57. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 58. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 59. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 60. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 61. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 62. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 63. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 64. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 65. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 66. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 67. एक पांच सौ अंक का

6

FUN, 71. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 72. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 73. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 74. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 75. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 76. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 77. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 78. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON FUN, 79. एक पांच सौ रुपये का नोट 4BN 756939, 80. एक पांच सौ रुपये का नोट ONK 755054 उपरोक्त सभी नोटों को एक अखबार पर रखवाकर उक्त नोटों पर श्रीमति बिमला मकानि. 229 से फिनाँलफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति का होने से मेरी जानकारी में है कि आरोपी रुपये लिफाफा में ही लेता है। इसलिये मैं आज रुपये उनको लिफाफा में दूंगा। जिस पर उक्त नोटों को लिफाफा में डालने हेतु एक कागज का लिफाफा बरंग पीला मंगवाया जाकर उपरोक्त कागज के लिफाफा पर भी श्रीमति बिमला मकानि.229 से फिनाँलफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात् उपरोक्त रुपये की दोनों गड्डीयों पर रबड़ लगाकर कागज के पीले लिफाफा में डालकर परिवादी श्री सुनिल कुमार की बाद जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अविनाश भार्गव से लिवाई जाकर परिवादी के पहने हुई जिन्स पैंट की आगे की बायीं जेब में कागज का लिफाफा रखवाया गया। परिवादी को निर्देश दिये कि उक्त रिश्वत राशि का लिफाफा नहीं छूये तथा आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकालकर उसे देवे तथा अपने कार्य के संबंध में वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल से कॉल करे अथवा सम्भव हो तो ट्रेप पार्टी की तरफ अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ईशारा करें। दोनों गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन देन एवं इस बीच होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें। एक डिस्पोजेबल गिलास में पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा इस गिलास में श्रीमती बिमला मकानि.229 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहान व परिवादी को फिनाँलफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक क्रिया को दृष्टांत सहित समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिकवाकर गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाया को जलाकर नष्ट किया गया। श्रीमति बिमला मकानि.229 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री सुनिल कुमार को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित कर एवं ईशारे के लिये उसका मोबाईल सुपुर्द किया गया। टेष्प पार्टी के सभी सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् श्रीमती बिमला महिला कानि. 229 को आवश्यक कार्य हेतु ब्यूरो चौकी में ही रुकने की हिदायत की गई। फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी एवं दृष्टांत फिनाँलफथलीन पाउडर पृथक से मुर्तीब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। समय 01.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार, मय परिवादी श्री सुनिल कुमार, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश भार्गव अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री मनोहरसिंह वनपाल तथा ब्यूरो स्टॉफ श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र हैड कानि.01, श्री जमील अहमद कानि.147, श्री गिरधारीलाल कानि.63, श्री दिलीप कुमार कानि.71, श्री कन्हैयालाल कानि. 312, श्री भगवानदास कानि.134, श्री रतनसिंह कानि.151 मय टेष्प सामग्री, प्रिन्टर लैपटॉप इत्यादि हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहन चालक श्री गजेन्द्रसिंह एवं निजी प्राइवेट वाहनो तथा मोटसाईकिलो से कार्यालय भ्रनिब्यूरो(एसयू) बीकानेर से मारूति सुजुकी शोरूम, श्रीगंगानगर रोड बीकानेर को रवाना हुआ। समय 01.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार मय परिवादी श्री सुनिल कुमार दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश भार्गव, श्री मनोहरसिंह तथा ब्यूरो स्टॉफ श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र हैड कानि.01, श्री जमील अहमद कानि.147, श्री गिरधारीलाल कानि.63, श्री दिलीप कुमार कानि.71, श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री भगवानदास कानि.134, श्री रतनसिंह कानि.151 मय टेष्प सामग्री, प्रिन्टर लैपटॉप इत्यादि हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहन चालक श्री गजेन्द्रसिंह एवं निजी प्राइवेट वाहनो तथा मोटसाईकिलो से कार्यालय भ्रनिब्यूरो (एसयू) बीकानेर से रवाना शुदा मारूति सुजुकी शोरूम श्रीगंगानगर रोड बीकानेर पहुँच कर परिवादी श्री सुनील कुमार को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर एवं रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया जाकर पीछे-पीछे श्री जमील अहमद कानि.147 को रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही ट्रेप दल के सदस्यों के अपनी-अपनी उपस्थिती छुपाते हुए गोपनीय स्थानो पर मुकिम हुए। समय 1.43 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टेष्प दल सदस्यों के फ्लैम बार एण्ड रेस्ट्रो होटल ज्योति के मुख्य गेट पर पहुँचे तो होटल के गेट के आगे परिवादी श्री सुनील कुमार खड़ा मिला। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री गिरधारीलाल कानि. 63 से सरकारी मोबाईल फोन से विडियोग्राफी चालू करवाई गई। परिवादी श्री सुनील कुमार ने अपने पास खड़े व्यक्ति जिसने जिन्स पेन्ट एवं क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई थी, की तरफ ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री देवेशसिंह डीजीएम पावर ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में है, इन्होंने मेरे से अभी मेरे काम के संबंध में बातचीत कर होटल के अन्दर एक लिफाफा में 90,000 हजार रुपये रिश्वत के लिये है, जो इन्होंने अपनी अण्डरसेटिंग की हुई शर्ट के पिछे की तरफ लिफाफा को डाल लिया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त युवक का बांया व दांया हाथ क्रमशः श्री रतनसिंह कानि. व कन्हैयालाल कानि. द्वारा पकड़वाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना नाम व पदनाम तथा ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उक्त शख्स

का नाम पता पूछा तो शख्स ने अपना नाम देवेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री कुवर प्रसाद जाति जाटव उम्र 47 साल पेशा नौकरी निवासी यूनिट नं.1506, टावर-टी-36, निराला एस्टेट, फैंज-5, प्लॉट नम्बर-जीएच-4, सैक्टर टेकजॉन-4, ग्रेटर नोएडा, पुलिस थाना बिसरख जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी किरायेदार मकान श्री राकेश कुमार, ए-75 चम्पालाल ज्वैलर्स वाली गली पवनपुरी बीकानेर हाल पदनाम डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर होना बताया। जिस पर शख्स श्री देवेश कुमार सिंह से परिवादी श्री सुनील कुमार से ली गई रिश्त राशि के बारे में पूछा गया तो उक्त शख्स एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो स्टाफ द्वारा उक्त युवक को तसल्ली देकर रिश्त राशि परिवादी श्री सुनील कुमार से प्राप्त करने के बारे में पूछा तो उक्त शख्स घबराते हुवे बोला कि मै सुनील कुमार को जानता हूं, इनकी फर्म द्वारा फाउंडेशन एण्ड अर्थिंग वर्क का काम हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत किया जा रहा है। इनकी फर्म द्वारा किये जाने वाले फाउंडेशन एण्ड अर्थिंग वर्क के कार्य का सुपर विजन मेरे द्वारा जा रहा है। मेरे द्वारा श्री सुनील कुमार की फर्म द्वारा किये जा रहे फाउंडेशन एण्ड अर्थिंग वर्क के कार्य के सम्बन्ध में इनसे बातचीत करके मैने अभी रिश्त राशि प्राप्त की है, जिस पर उक्त शख्स देवेश कुमार सिंह के पहने हुवे कपडों की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश भार्गव से लिवाई गई तो शख्स श्री देवेश कुमार सिंह के हाथ में एक आई फोन, बांये हाथ में कलाई घड़ी, जिन्स पेन्ट की पिछे की जेब में 1390 रुपये नकदी व एक छोटा कंघा मिला। जिस पर उक्त शख्स देवेश कुमार सिंह की पुन सघन तलाशी ली गई तो शख्स के पहनी शर्ट जो अण्डरसेटिंग की हुई थी के पीछे कमर की तरफ के हिस्से में कुछ डाला हुआ नजर आया जिस पर स्वतंत्र गवाह द्वारा हाथ डालकर बाहर निकालकर देखा तो एक पीले रंग का लिफाफा मिला जिसको खोलकर चैक किया तो उक्त पीले रंग के लिफाफा में दो गड़िया जिसमें 500-500 रुपये के नोट मिले। उक्त शख्स द्वारा रिश्त राशि प्राप्त करने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टेम्प पार्टी सदस्यों, परिवादी एवं युवक श्री देवेश कुमार सिंह के साथ होटल ज्योति के अन्दर प्रवेश हुवे तथा उक्त बरामद रिश्त राशि के नोटों के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटों के नम्बर वहीं पाये गये। उपरोक्त 90000 रिश्त राशि (5000 रुपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 85000 डमी नोट) को वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। श्री देवेश कुमार सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय समता नगर बीकानेर द्वारा रिश्त लेने का अपराध करने पर गिरफ्तारी के कारणों के सम्बन्ध में पृथक से तहरीर दी जाकर अवगत करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो साफ डिस्पोजल गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को कब्जा एसीबी में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को कब्जा एसीबी में लिया गया। तत्पश्चात आरोपी देवेश कुमार सिंह के पहनी शर्ट को खुलावाया जाकर आरोपी के पहनी शर्ट की पिछे की तरफ निचले हिस्से को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तैयार घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को पृथक-पृथक कांच की दो-दो शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को एवं उक्त शर्ट को सुखाकर कब्जा एसीबी में लिया गया। रिश्त राशि बरामदगी स्थान फ्लैम बार एण्ड रेस्ट्रो होटल ज्योति भीड़भाड़ एवं कम रोशनी तथा बीयर बार होने, काफी लोगो की आवाजाही एवं शोर शराबा होने के कारण ट्रेप कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होने के कारण मौका से डिटैन्शुदा आरोपी देवेश कुमार सिंह एवं वजह सबूत आरोपी के हाथो, अंगुठे की धोवन की शिशिया, आरोपी की पहनी शर्ट के धोवन से प्राप्त मिश्रण, आरोपी से बरामद रिश्त राशि मय ट्रेप दल सदस्य मय परिवादी के रवाना होकर इस समय कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर रेंज, बीकानेर के कार्यालय में पहुँच कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। दौरान कार्यवाही आरोपी देवेश कुमार सिंह ने स्वत ही बताया कि मेरे पास आज श्री सुनील कुमार का फोन आया था, जिसने कहा कि मुझे आपने जो पहले बताया था उस काम के सिलसिले में बात करनी है। तब मैने सुनील कुमार को मेरे से मिलने की लोकेशन भेजकर श्रीगंगानगर रोड पर मारुती सुजुकी शोरूम के पास मेरे पावर ग्रिड ऑफिस में बुलाया था, बाद मै हम दोनो होटल ज्योति में मिले जहां पर मुझे सुनील कुमार ने नब्बे हजार रुपये एक पीले रंग के लिफाफे में दिये थे जो मैने लेकर मेरी शर्ट में पीछे की तरफ रख लिये। दौरान तलाशी आरोपी के पास मिले आईफोन जिसका पासवर्ड नम्बर लॉक 997805 है। उक्त आई फोन को प्रकरण में अनुसंधान हेतु खुली अवस्था में रखा जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। अब तक दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी देवेश कुमार सिंह से बरामद रिश्त राशि, हाथ धुलाई, रिश्त मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्त लेन-देन वार्ता को सुनने, आरोपी की पूछताछ से आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्त राशि की मांग कर, मांग की अनुसरण में रिश्त राशि प्राप्त करना प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके वैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर वक्त 3.40 पीएम पर पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया, कारण गिरफ्तारी फर्द गिरफ्तारी के सलग्न है। गिरफ्तारी की सूचना इसके वारिसान को जरिये मोबाईल दी गई। दौरान ट्रेप

कार्यवाही आरोपी के दाहिने हाथ, अंगुठे के प्राप्त धोवनो की शिशियो को शील चिट कर मार्क क्रमश R-1, R-2 एवं बायें हाथ अंगुठे के प्राप्त धोवनो की शिशियो को शील चिट कर मार्क क्रमश L-1, L-2 तथा आरोपी की पहनी शर्ट की पिछे की तरफ निचले हिस्से के धोवन से प्राप्त मिश्रण की शिशियो को मार्क क्रमश S-1, S-2 तथा शर्ट को सुखोकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील चिट कर मार्क S अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के पास से बरामद लिफाफा जिसमें रिश्वती राशी रखी हुई थी को बतौर वजह सबूत होने के कारण उक्त लिफाफा को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील चिट कर मार्क A अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी से प्राप्त रिश्वती राशी को एक सफेद कपड़ा के साथ नत्थी कर कब्जा एसीबी में लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी में मिला सामान (एक आईफोन, 1390रूपये नगद, एक कलाई घड़ी, एक छोटा कंधा) को एक लिफाफा में डालकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी देवेश कुमार सिंह के हाथों व अंगूठे, आरोपी की अण्डर सेटिंग करके पहनी हुई शर्ट जिसके पिछे की तरफ निचले वाले हिस्से से रिश्वत राशि बरामदगी बाबत धोवन की कार्यवाही, वजह सबूत को सील मोहर करने तथा आरोपी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल में स्थापित नया मैमोरी कार्ड में श्री गिरधारीलाल कानि.63 से करवाई गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी देवेश कुमार सिंह द्वारा परिवादी की फर्म Skyline Creation द्वारा किये जा रहे कार्य को सुचारू रूप से चालू रखने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से आज दिनांक 15.07.2026 को बतौर कमीशन के रूप में राशि नब्बे हजार रूपये मांग कर मांग के अनुसरण में आज आरोपी द्वारा परिवादी से नब्बे हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर आरोपी देवेश कुमार सिंह को रंगे हाथो पकड़ा गया। आरोपी देवेश कुमार सिंह को उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या अपराध पाया जाने पर आरोपी को उसके अपराध के संबंध में गिरफ्तार करने बाबत कारण गिरफ्तारी नोटिस पृथक से दिया जाकर वक्त 3.40 पीएम पर आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री कुवर प्रसाद जाति जाटव उम्र 47 साल पेशा नौकरी निवासी यूनिट नं.1506, टावर-टी-36, निराला एस्टेट, फ़ैज-5, प्लॉट नम्बर-जीएच-4, सैक्टर टेकजॉन-4, ग्रेटर नोएडा, पुलिस थाना बिसरख जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी किरायेदार मकान श्री राकेश कुमार, ए-75 चम्पालाल ज्वैलर्स वाली गली पवनपुरी बीकानेर हाल पदनाम डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के वारिसान को पृथक से दी गयी। फर्द गिरफ्तारी, चैक लिस्ट एवम् समस्त फर्दात पृथक से विधिवत तैयार की जाकर संबंधितों को हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 8.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के रूबरू परिवादी एवम् आरोपी के मध्य दिनांक 15.07.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन-देन संबंधित रिकॉर्डेड वार्ताएं जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड है, उनको सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनानी शुरू की जाकर वक्त 11.10 पीएम तक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी एवम् आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होने पर उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकाला जाकर कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप में कनेक्ट कर मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क D-1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया एवम् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क D अंकित कर मूल मैमोरी कार्ड व दोनो पैन ड्राईव को कब्जा पुलिस में लिया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.35 पीएम ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील संख्या 47 की फर्द नमूना सील अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 16.07.2026 के समय 12.15 एएम पर आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया में आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह के दोनो हाथों व अंगूठे, आरोपी की पहनी शर्ट से रिश्वती राशि बरामदगी बाबत धोवन की कार्यवाही, वजह सबूत को सील मोहर करने तथा आरोपी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल से करवाई गई थी। उक्त वीडियोग्राफी में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को कार्ड रीडर की सहायता से लैपटॉप में कनेक्ट कर मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क V-1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया एवम् वीडियोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क V अंकित कर मूल मैमोरी कार्ड व दोनो पैन ड्राईव को कब्जा पुलिस में लिया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.25 एएम पर ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध श्री देवेश कुमार सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील संख्या 47 को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया है। फर्द नष्टीकरण नमूना सील अलग से तैयार कर

संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद ट्रेप कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाह, हमराही ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप सामग्री, प्रिन्टर लैपटॉप, दौराने ट्रेप कार्यवाही जब्तशुदा शील्डशुदा वजह सबूत मय सरकारी वाहन चालक श्री गजेन्द्रसिंह एवं निजी प्राइवेट वाहनो तथा मोटसाईकिलो से कार्यालय भ्रनिब्यूरो(एसयू) बीकानेर को पहुंच कर दौराने ट्रेप कार्यवाही जब्तशुदा समस्त वजह सबूत को शील्डशुदा हालात में प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को प्रकरण के घटनास्थल का नक्शामौका हालातमौका तैयार करवाने हेतु आईन्दा सुबह उपस्थित आने हेतु हिदायत दी जाकर रूखसत दी गयी। समय 11.05 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान परिवादी पूर्व से पाबन्दशुदा उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अशोक कुमार सउनि, श्री रतनसिंह कानि, स्वतन्त्र गवाहान अविनाश भार्गव, श्री मनोहरसिंह परिवादी श्री सुनील कुमार, गिरफ्तारशुदा आरोपी देवेश कुमार सिंह मय गाड़ी सरकारी चालक श्री गजेन्द्रसिंह के कार्यवाही मौका हेतु घटनास्थल श्रीगंगानगर रोड पर फ्लैम बार एण्ड रेस्ट्रो, होटल ज्यौती बीकानेर को रवाना होकर समय 11.30 एएम पर फ्लैम बार एण्ड रेस्ट्रो, होटल ज्यौती बीकानेर के आगे पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शामौका हालातमौका मुर्तीब कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बीरबलराम निवासी ढंढाल चैना पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू कि Skyline Creation नाम से एक फर्म है, परिवादी की उक्त फर्म के द्वारा बिजली लाईन बिछानी वाली जगह पर फाउंडेशन एवं अर्थिंग वर्क का कार्य किया जाता है। वर्तमान में परिवादी की फर्म के पास SKIPPER Limited कम्पनी से Skyline Creation (210478) RAJGARH DHANDHAL KHETA Dist. Churu Rajasthan -331023 dk SKIPPER Limited कम्पनी के द्वारा ऑर्डर दिनांक 25.07.2025 के द्वारा Work Order for execution of Foundation Earthing work on the PGCIL TL-02 for (765 KVD/C Bikaner-Siwani Part-II) Part AB Projects in Rajasthan मिला हुआ है। परिवादी की फर्म द्वारा किया जा रहा उपरोक्त कार्य भारत सरकार की कम्पनी पावर ग्रिड के अन्तर्गत आता है। जिसका सुपरविजन प्रकरण हाजा के आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर के पास था। आरोपी देवेश कुमार सिंह द्वारा परिवादी की फर्म द्वारा किये जा रहे उपरोक्त कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिये परिवादी से एक लाख रुपये रिश्वत के कमीशन के रूप में देने की मांग की जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.07.2026 से आरोपी देवेश कुमार सिंह द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार की फर्म द्वारा किये जा रहे काम को सूचारू रूप से चालु रखने के लिये एक लाख रुपये रिश्वत की राशि कमीशन के रूप में मांग की गई, परिवादी द्वारा कुछ राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा पांच-दस हजार कम करने का कहा गया। जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से नब्बे हजार रुपये रिश्वती राशी के प्राप्त करने पर आरोपी को रंगे हाथो पकड़ा जाकर रिश्वती राशी आरोपी के कब्जा से बरामद की गई एवं मौका पर आरोपी के दोनो हाथो के अंगुठे व अंगुलियों के धोवन एवं रिश्वती राशि रखी गई शर्ट का धोवन लिया गया। धोवनो से प्राप्त मिश्रण एवं आरोपी से बरामद रिश्वती राशि को सील्ड चिट कर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलवाई, वजह सबूत को शील्ड मोहर करने एवं आरोपी से पुछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की सरकारी मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही संबंधित समस्त फर्दात पृथक-2 विधिवत तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही जब्तशुदा वजह सबूत को सील्ड मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी देवेश कुमार सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर को जुर्म से आगाह कर विधिवत जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री कुवर प्रसाद जाति जाटव उम्र 47 साल पेशा नौकरी निवासी यूनिट नं.1506, टावर-टी-36, निराला एस्टेट, फ़ैज-5, प्लॉट नम्बर-जीएच-4, सैक्टर टेकजॉन-4, ग्रेटर नोएडा, पुलिस थाना बिसरख जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी किरायेदार मकान श्री राकेश कुमार, ए-75 चम्पालाल ज्वैलर्स वाली गली पवनपुरी बीकानेर हाल पदनाम डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर के विरुद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) घटित होना पाया गया है। अतः श्री देवेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री कुवर प्रसाद जाति जाटव उम्र 47 साल पेशा नौकरी निवासी यूनिट नं.1506, टावर-टी-36, निराला एस्टेट, फ़ैज-5, प्लॉट नम्बर-जीएच-4, सैक्टर टेकजॉन-4, ग्रेटर नोएडा, पुलिस थाना बिसरख जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी किरायेदार मकान श्री राकेश कुमार, ए-75 चम्पालाल ज्वैलर्स वाली गली पवनपुरी बीकानेर हाल पदनाम डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर के विरुद्ध उपरोक्त धाराओ में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (इन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट, बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी

प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री कुवर प्रसाद जाति जाटव, उम्र 47 साल पेशा नौकरी निवासी यूनिट नं.1506, टावर-टी-36, निराला एस्टेट, फेज-5, प्लॉट नम्बर-जीएच-4, सेक्टर टेकजॉन-4, ग्रेटर नोएडा, पुलिस थाना बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी किरायेदार मकान श्री राकेश कुमार, ए-75, चम्पालाल ज्वैलर्स वाली गली पवनपुरी बीकानेर, हाल पदनाम डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कम्पनी, कार्यालय रिलायंस मार्ट के उपर समता नगर बीकानेर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र नि ब्यूरो, चूरू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 325 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1193-96 दिनांक 19-07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- निदेशक (कार्मिक), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 29, इफ्को चौक के पास, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): MAHAVIR PRASAD Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): SHARMA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)